



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122022-240950
CG-DL-E-09122022-240950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5514]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्राहायण 18, 1944

No. 5514]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5750(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3322 दिनांक 21/07/2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में NH367 के कि.मी. 52.00 से कि.मी. 52.800 (भाननपुर - गदनकेरी खंड) तक के निर्माण, अनुरक्षण, (चौड़ाई / चार लेन, आदि) प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01/08/2022 " को "प्रजावाणी" और "उदयवाणी" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में NH367 के कि.मी. 52.00 से कि.मी. 52.800 (भाननपुर - गदनकेरी खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: कोप्पल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: यलबुर्गा				
	गांव का नाम: कतराला				
1	75	निजी	ट्रे	0.361682	बाबूसाब पुत्र दादेसब मुजावर गजेंद्रगढ़, पखरीसाब, राजसाब बाबूसाब पुत्र दादासाब माता जीवनबी कोंडादेस (75/*)
2	77	निजी	ट्रे	0.293102	आरटीसी के अनुसार (77/*) (77/*)
			कुल	0.654784	

[फा. सं. RW/NH/367/KNT/2022/3D3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2022

S.O. 5750(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.3322 dated 21/07/2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.) Maintenance, management and operation of NH367 on the stretch of land from Km. 52.00 to Km 52.800 (Bhananpur - Gaddankeri Section) in the district of KOPPAL in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Prajavaani*” and “*Udayavaani*” both dated 01/08/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 52.00 to Km. 52.800 (Bhananpur - Gaddankeri Section) of National Highway No 367 in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA			District: KOPPAL		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Yelbarga				
	Village: Katralla				
1	75	Private	Dry	0.361682	Babusab S/o Dadesab Mujawar Gajenderagad , Pakhrisab , Rajasab Babusab S/o Dadesab M/o Mother Jeevanbi Kondades 75/*
2	77	Private	Dry	0.293102	As per RTC(77/*) 77/*
			TOTAL	0.654784	

[F. No. RW/NH/367/KNT/2022/3D3]

RAJESH GUPTA, Director